रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052026-272714
CG-DL-E-19052026-272714

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339]	**नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2026/वैशाख 29, 1948**
No. 339]	**NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2026/VAISAKHA 29, 1948**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2026

सं 07/2026-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 374(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित “सोलर पैनल/मॉड्यूल के लिए एनोडाइज्ड अल्युमिनियम फ्रेम” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की टैरिफ मदों 7610 9010, 7610 9030 और 7616 9990 के अंतर्गत आते हैं , के आयात के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/7/2023-डीजीटीआर, दिनांक 29 जून, 2024, जिसे दिनांक 29 जून, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, में दिए गए अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि,-

(i) विषयगत वस्तुओं का विषयगत देश से पाटित मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है;

(ii) विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के पाटन ने घरेलू उद्योग की स्थापना को धीमा कर दिया है;

(iii) घरेलू उद्योग की स्थापना में भौतिक बाधा विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के पाटित मूल्य पर आयात के कारण हुई है,

और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 16/2024-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 सितंबर, 2024, जिसे सा.का.नि. 599 (अ), दिनांक 27 सितंबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि मेसर्स अनहुई क्रांट एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक) ने अपने द्वारा किए गए विषयगत माल के निर्यात के बारे में सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आँकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 की दृष्टि से समीक्षा किए जाने के लिए अनुरोध किया है और उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने न्यू शिपर रिव्यू अधिसूचना संख्या 7/28/2025-डीजीटीआर, दिनांक 20 मार्च, 2026, जिसे दिनांक 20 मार्च, 2026 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत यह सिफारिश की थी कि जब तक उसके द्वारा इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक उपर्युक्त पार्टी के द्वारा किए जाने वाले विषयगत वस्तु के सभी निर्यातों का आँकलन अनंतिम रूप से किया जाए;

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आँकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के उप नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की उपर्युक्त सिफारिश पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, आदेश देती है कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त समीक्षा के परिणाम के आने तक उक्त विषयगत वस्तु, जब इसका मूलत: उत्पादन या निर्यात विषयगत देश से मेसर्स अनहुई क्रांट एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक) के द्वारा किया जाए और उसका आयात भारत में हो, को इस समीक्षा के कार्य के पूरा होने तक अनंतिम आँकलन के तहत रखा जाए।

2. यदि कोई निश्चित प्रतिपाटन शुल्क भूतलक्षी प्रभाव से लगाया जाता है तो उस मामले में ऐसे अनंतिम आँकलन को ऐसी प्रतिभूति या गारंटी के अधीन रखा जाएगा जिसे यथोचित सीमाशुल्क अधिकारी किसी डिफिशियन्सी, यदि कोई हो, के लिए, उस समय जब विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जांच का कार्य पूरा हो जाता है, भुगतान के लिए उचित समझता है।

3. विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा उक्त समीक्षा के कार्य को पूरा कर लिए जाने के पश्चात यदि प्रतिपाटन शुल्क की सिफारिश की जाती है, तो आयातकर्ता ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसकी सिफ़ारिश समीक्षा के आधार पर की गई है और जिसे उन सभी आयातित माल पर लगाया गया है जो मेसर्स अनहुई क्रांट एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक) द्वारा विषयगत देश से उत्पादित या निर्यात किए गए हैं, और भारत में आयात किए गए हैं, और यह शुल्क उक्त समीक्षा शुरू होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/132/2024-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2026

No. 07/2026-Customs (ADD)

G.S.R. 374(E).—Whereas, in the matter of import of "Anodized Aluminium Frames for Solar Panels/Modules" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under the tariff items 7610 9010, 7610 9030 or 7616 9990 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), the designated authority, *vide* its final findings in notification No. 6/7/2023-DGTR, dated the 29th June, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th June, 2024, had come to the conclusion that,-

(i) the subject goods have been exported to India from the subject country at dumped prices;

(ii) the dumping of subject goods from subject country has materially retarded the establishment of domestic industry;

(iii) material retardation to the establishment of the domestic industry has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country,

and had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported from, the subject country;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 16/2024-Customs (ADD), dated the 27th September, 2024, published *vide* number G.S.R. 599(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 27th September, 2024;

And whereas, M/s Anhui Krant Aluminum Products Co., Ltd (Producer and Exporter), has requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in respect of exports of the subject goods made by them, and the designated authority, *vide* new shipper review notification No. 7/28/2025-DGTR dated the 20th March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 20th March, 2026, has recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the above stated party till the completion of the review by it;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, hereby orders that pending the outcome of the said review by the designated authority, the subject goods, when originating in or exported from the subject country by M/s Anhui Krant Aluminum Products Co., Ltd (Producer and Exporter), and imported into India, shall be subjected to provisional assessment till the review is completed.

2. The provisional assessment may be subject to such security or guarantee as the proper officer of customs deems fit for payment of the deficiency, if any, in case a definitive anti-dumping duty is imposed retrospectively, on completion of investigation by the designated authority.

3. In case of recommendation of anti-dumping duty after completion of the said review by the designated authority, the importer shall be liable to pay the amount of such anti-dumping duty recommended on review and imposed on all imports of subject goods when originating in or exported from the subject country by M/s Anhui Krant Aluminum Products Co., Ltd (Producer and Exporter), and imported into India, from the date of initiation of the said review.

[F. No. 190354/132/2024-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.19 22:50:51 +05'30'